

विस्थापन एवं पुनर्वास का समाज पर प्रभाव

सारांश

विस्थापन का सम्बन्ध विकास की प्रक्रिया से जुड़ा है। भारत में विस्थापन का आरंभ ब्रिटिश शासनकाल में 1850 ई० के आस-पास हो गया था आजादी के बाद विकास को प्राथमिकताओं में रखते हुए इसे पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बना दिया गया। जहाँ तक विस्थापन और पुनर्वास की बात है तो विकास के दृष्टिकोण से जहाँ यह आवश्यक है, वही विस्थापितों के दृष्टिकोण से यदि गौर करें तो वह अपने मूल स्थान से हटा दिए जाते हैं और नई जगह पर उनके पुनर्वास से कई चुनौतियाँ जुड़ जाती हैं और उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन अस्थिर हो जाता है, जिसमें यदि कुछ मायनों में स्थिरता आती भी है तो उसमें उनकी पुनर्वास क्षेत्र में सामाजिक स्वीकारोवित का अभाव रहता है।

मुख्य शब्द : विस्थापन, पुनर्वास, असुरक्षा, विकास।

प्रस्तावना

जहाँ विस्थापन एक ओर देश के विकास को इंगित करता है वहीं दूसरी ओर विस्थापित लोगों के लिए यह खासी कठिनाईपूर्ण रहता है जिससे एक लम्बे समय तक उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक पक्ष अस्थिर हो जाते हैं।

आजादी के बाद सामाजिक, आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया गया। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए देश की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं देश में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्र के विकास में ऊर्जा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों में जल से बिजली बनाने को प्राथमिकता से लिया गया तथा भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के तेज वेग को बिजली बनाने में प्रयोग किया गया। इसी के साथ पन-बिजली योजनाओं के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया गया और यह कार्य भारत में अंग्रेजी शासनकाल में 1850 ई० के आस-पास से ही शुरू हो गया था। बड़े-बड़े बांध बनाये गये। इसी का उदाहरण पंजाब में भाखड़ा नागल डैम है। बांध के पीछे बड़ी-बड़ी कृत्रिम झीलों का निर्माण हो गया है। गाँव के गाँव इसके लिए खाली कराये गये। इसी के साथ विस्थापन और फिर पुनर्वास शब्दों का जन्म होता है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग विस्थापित होते हैं। विशेष रूप से खदाने, उम्मा, आण्विक शक्ति के बड़े-बड़े कारखाने, औद्योगिक बस्तियाँ, सैनिक संस्थानों की स्थापनायें, अस्त्र-शस्त्र परीक्षण के मैदान, नये रेल पथ तथा नई सड़कें, संरक्षित वनों का विस्तार, वन्य पशुओं के शरणरथल एवं पार्क तथा मानव हितार्थ तकनीक हस्तक्षेप जिससे बड़े पैमाने पर मछुआरों, दस्तकारों और हथकरघा व कारीगरों तथा किसानों के समुदायों पर भी इस बदलाव का बुरा प्रभाव पड़ता है।

पुनर्वास भौतिक और मनोवैज्ञानिक, दोनों प्रकार का होता है। भौतिक पुनर्वास आवश्यक रूप से आर्थिक होता है जबकि मनोवैज्ञानिक पुनर्वास आश्वासन की प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ता है। दोनों साथ-साथ चलने चाहिए।

आधुनिक काल में विभिन्न विकास परियोजनाओं में विशेषतः औद्योगिक तथा अधोसंरचना परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार जमीनों, सड़क, यातायात या अतिवृहद जनजाति परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कोई नवीन घटना नहीं है परन्तु इसकी व्यापकता एवं तौरता में हुई आशातीत वृद्धि के कारण और इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण यह प्रक्रिया विभिन्न धरातलों पर ध्यान आकर्षित कर रही है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह तय किया जाने लगा है। पलायन या विस्थापन का सम्बन्ध विकास की प्रक्रिया से भी जुड़ा है।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

सम्पूर्ण विश्व में ही विस्थापन का अप्रत्यक्ष दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव प्रभावित जनसंख्या पर पड़ा है। अधिकांश समस्यायें विस्थापन व पुनर्वास से संबंधित होती है और इन्हें विकास के असन्तुलित पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। भारत में स्वतन्त्रता से पहले भी विस्थापन की समस्या देखी गयी है परन्तु जनसंख्या घनत्व के कम होने तथा भूमि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण नकारात्मक प्रभाव कम देखे गये। ब्रिटिशकाल के अंत में यह समस्या गंभीर रूप धारण करने लगी।

भारत में विस्थापन से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कहा गया जिसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियम का प्रयोग किया गया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश भारत में 33 मिलियन मामलों में जनजातीय/ग्रामीणों के विस्थापन और उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गरीबी की ओर जनता की चेतना तब जागरूक होती है जब वे प्रभावित होने वाल जनजाति/ग्रामीण लोगों के आंदोलनों और संघर्षों के समाचार पढ़ते हैं।

आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि राज्यों के आदिवासी ग्रामीण अपने पुरखों की भूमि से विस्थापित और विनाश के कगार पर खड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में खदानों, औद्योगिक परियोजनाओं और पन बिजली के लिए बांध का निर्माण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार जमीन ली जाती है और परियोजना के बाद आस-पास कोई काम नहीं होता है। सीधे-सीधे एक बार विस्थापन होता है। दूसरी कुछ परियोजनायें ऐसी हैं जिनकी अपनी जरूरत के लिए उद्योग के अनुसार जमीन ली जाती है जिसमें कुछ लोग विस्थापित होते हैं परन्तु उद्योग में लग जाने के बाद आस-पास धीरे-धीरे कई तरह के दूसरे काम शुरू होते हैं। तीसरी कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जैसे- सड़क का निर्माण, जिसमें सीधा विस्थापन तो नाममात्र का होता है परन्तु सड़क निर्माण के बाद विस्थापन का असली सिलसिला शुरू होता है। सड़क की आस-पास की जमीन पर बाहर के लोग आकर छोटी-छोटी बसावटे बनाकर रहना शुरू कर देते हैं।

वसुधा धगम्बर ने पुनर्स्थापना को राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्न तथ्यों के आधार पर उसकी विविधताओं को स्पष्ट किया है—

- परियोजनाओं के अन्तर्गत होने वाले पुनर्वास हेतु कही कोई नियम नहीं है जबकि परियोजना के क्रियान्वयन से क्षतिपूर्ति, मुआवजा एवं पुनर्वास को योजनाबद्ध किया जाता है।

- पुनर्स्थापना कितनी ही अच्छी क्यों न हो असन्तोषजनक, अकल्यनीय सहानुभूतिपूर्ण होता है। विस्थापितों को नये क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सहजता से नहीं अपनाया जाता है।
- विस्थापन में केवल स्थानान्तरण तक ही सीमित न होकर रोजगारी, आत्मीयता, बाजार एवं बाह्य परिवेश भी नष्ट होता है।

एस० परशुराम ने पाया कि देश में विस्थापितों के विकास योजना के अन्तर्गत एक पीढ़ी की आय उनके रोजगार, रहन सहन का स्तर एवं गरीबी दूर करने के मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया जाता है किन्तु देश के तीन चौथाई विस्थापित अभी भी अपेक्षाकृत सुविधाओं से वंचित है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य विस्थापन के पश्चात् पुनर्वासितों की सामाजिक विशेषताओं को उद्घटित करना है जिसमें उनकी पारिवारिक स्थितियाँ रोजगार के क्षेत्र तथा मानसिक असुरक्षा का पता लगाना है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड में निर्मित टिहरी पनविजली परियोजना के संदर्भ में है। इस परियोजना का लंबे समय तक पर्यावरणविद् सुन्दरला बहुगुणा द्वारा विरोध किया जाता रहा है लेकिन फिर भी यह परियोजना आज हमारे सामने मूर्तरूप में है। इस परियोजना के कारण पूरा टिहरी शहर ही विस्थापित हुआ तथा नया टिहरी के नाम से पुनर्वास कार्य किया गया लेकिन कुछ विस्थापितों को हरिद्वार जिले के पथरी रेलवे स्टेशन के पास जमीने आवंटित की गयी। सरकार द्वारा रहने के लिए आवास बनाकर दिए गए लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद क्या विस्थापितों को हम सन्तुष्ट कर पाये। यह जानने के लिए हमने 50 विस्थापितों से हरिद्वार के पथरी गांव में बातचीत की। अध्ययन के लिए अनुसूची का प्रयोग किया गया। यह अध्ययन कार्य अप्रैल 2016 में सम्पादित किया गया।

तथ्य विश्लेषण

अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संकलित तथ्यों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

- चयनित सूचनादाताओं में पुरुष उत्तरदाता 30 से 40 आयु वर्ग के हैं।
- चयनित सूचनादाताओं में जाति सदस्यता के आधार पर पिछड़ी जाति के सदस्यों की अधिकता है।
- विवाहित उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है।
- सूचनादाताओं के परिवार मिश्रित प्रकार के हैं।
- उत्तरदाताओं के पास सरकार द्वारा आवंटित अपने मकान हैं।

विस्थापन एवं पुनर्वास के प्रभाव को निम्नलिखित सारणी के द्वारा समझा जा सकता है।

तालिका-1
विस्थापन के प्रभाव

क्र0सं0	विस्थापन के प्रभाव	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1	जीवन में अस्थिरता का बोध	80 प्रतिशत
2	शारीरिक असुरक्षा का बोध	86.99 प्रतिशत
3	आर्थिक दिक्कतों का सामना	100 प्रतिशत
4	अपनी स्थिति हीनता का बोध	70 प्रतिशत
5	भाग्य ही सब कुछ है का बोध	90 प्रतिशत

तालिका-2
परिवार पर विस्थापन एवं पुनर्वास का प्रभाव

क्र0सं0	प्रभाव की प्रकृति	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1	संबंधों में तनाव उत्पन्न होना	76.77 प्रतिशत
2	पारिवारिक संरचना में परिवर्तन	61.67 प्रतिशत
3	पारिवारिक गतिविधियाँ शिक्षित हुई	71.67 प्रतिशत
4	पारिवारिक उत्सव पर रोक लगी	81.67 प्रतिशत
5	जीवन शैली बदल गयी	86.67 प्रतिशत
6	जीवन स्तर बदल गया	88.33 प्रतिशत

निष्कर्ष

विस्थापन का व्यापक सामाजिक प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है जोकि आर्थिक समस्याओं, भाग्यवादिता, शारीरिक असुरक्षा, जीवन में अस्थिरता तथा स्थितिहीनता के रूप में परिलक्षित होता है। यह स्थिति मनुष्यों में नीरसता की स्थिति को जन्म देती है और मनुष्य मानसिक रूप से कमज़ोर व भयभीत हो जाता है।

पुनर्वास की प्रक्रिया परिवार पर अत्यन्त नकारात्मक रूप से परिलक्षित हुई है जिसके परिणाम जीवन स्तर तथा जीवन शैली में बदलाव, पारिवारिक गतिविधियों एवं उत्सवों में अवरोध, पारिवारिक संरचना में बदलाव एवं सम्बन्धों में तीव्र तनाव द्वारा परिलक्षित होते हैं।

सन्दर्भ सूची

- शर्मा ब्रह्मदेव 1996 : विकास में सहभागिता, आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में जनलयुर, अकट्टबर / धगम्बर, वसुधा 1988 : पॉलिसी एण्ड इस्टीट्यूशनल यूजेंस रिकार्ड रिहोबिलिटेशन सोशल एक्शन, पृ०-३६
- परशुराम, एस० 1996 : 'मेथडोलोजिकल इस्तुज इन स्टडीज ऑन रीसैटलमेंट' एण्ड रिहोबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ डिस्प्लेडं पीपल द इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, पृ० 191-219
- महापात्र, एल०क०, 1996 : "डेवलपमेंट फॉर डूर्मन, 4 द्रायबल सोशल एक्शन / पार, डॉ० अंकुर, 2017 : विस्थापित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, सनराईज पब्लिकेशन्स, दिल्ली /
- अहूजा, राम, 2018 : सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर /